भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

...

दिनांक: 25 मार्च, 2015

<u>संकल्प</u>

सं.11034/48/2014-रा.भा.(नीति): आधुनिक ज्ञान/विज्ञान की विभिन्न विधाओं एवं राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मौलिक रूप से राजभाषा हिन्दी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा जारी संकल्प सं.।।/12013/2/85-रा.भा.(क.2) दिनांक 30.7.1986, सं. ।।/12013/1/2000-रा.भा.(नी.2) दिनांक 8.8.2005 एवं का.ज्ञापन सं. 11014/12/2013-रा.भा.(प) दिनांक 2.5.2013 (उत्कृष्ट लेखों के लिए) का अधिक्रमण करते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 से नई पुरस्कार योजना शुरू की जाती है जिसका नाम "**राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना**" है । इसके तहत निम्नलिखित पुरस्कार योजनाएं हैं:-

(क) भारत के नागरिकों को हिन्दी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार ।

(ख) केन्द्र सरकार के कार्मिकों (सेवानिवृत्त सहित) को हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार ।

(ग) केन्द्र सरकार के कार्मिकों (सेवानिवृत्त सहित) को हिन्दी में उत्कृष्ट लेख के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार ।

(क) भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना ।

1. **नाम** : इस योजना का नाम हिंदी में ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना है ।

2. **परिभाषाएं:** इस योजना में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

   I. ''योजना'' का अभिप्राय है ''तकनीकी/विज्ञान संबंधी विषयों पर मौलिक रूप से हिन्दी भाषा में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए राजभाषा विभाग की पुरस्कार योजना ।''

   II. 'मौलिक' से अभिप्राय है ''मूल रूप से हिन्दी में लिखी गई व प्रथम बार प्रकाशित पुस्तक । पूर्व में प्रकाशित पुस्तकों का अनुवाद योजनामें शामिल नहीं होगा ।

   III. ''पुस्तक'' से आशय प्रकाशित पुस्तक से है ।

IV. "वर्ष" से अभिप्राय है: (i) योजना वर्ष अभिप्राय - वित्तीय वर्ष (ii) प्रकाशन वर्ष अभिप्राय- कैलेण्डर वर्ष ।

3. **उद्देश्य:** केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों/ उपक्रमों/ बैंकों इत्यादि में सरकारी कामकाज में तकनीकी विषयों पर भी कार्य किया जाता है । ज्ञान -विज्ञान के क्षेत्र में सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने में कठिनाई आती है क्योंकि तकनीकी विषयों पर पुस्तकों की कमी है । ऐसे विषयों पर सरकारी कामकाज को हिन्दी में करते हुए कार्मिकों को कठिनाई आती है क्योंकि वे ज्ञान-विज्ञान के विषयों पर हिन्दी शब्दावली से अनभिज्ञ होते हैं । इसका मुख्य कारण ज्ञान-विज्ञान के विषयों पर हिन्दी में पुस्तकों का कम उपलब्ध होना है । इस क्षेत्र में हिन्दी में पुस्तक लेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग यह योजना चला रहा है ।

4. **पुरस्कार :**

प्रथम पुरस्कार (एक)- 2,00,000/-रु. (दो लाख रुपए) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह
दितीय पुरस्कार (एक)- 1,25,000/-रु. (एक लाख पच्चीस हजार रुपए) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह
तृतीय पुरस्कार (एक)- 75,000/-रु. (पचहत्तर हजार रुपए) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह
प्रोत्साहन पुरस्कार (दस)- 10,000/-रु. (दस हजार रुपए) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह प्रत्येक को

5. **पात्रता:**

(1) लेखक भारत का नागरिक होना चाहिए ।

(2) पुस्तक आधुनिक तकनीकी/विज्ञान की विभिन्न विधाओं पर लिखी हो सकती है,

उदाहरणार्थ-

I. इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रानिक, कम्प्यूटर विज्ञान, भौतिकी,जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष । विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन, मनोविज्ञान इत्यादि
II. समसामयिक विषय- जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण इत्यादि ।

6. **सामान्य शर्ते** :

(i) प्रविष्टि उपर्युक्त पुरस्कार योजनाओं में से केवल एक योजना के लिए ही भेजी जा सकती है। पुस्तक के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में प्रत्येक सह-लेखक द्वारा अलग-अलग प्रोफार्मा भरा जाए ।

(ii) योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए वे पुस्तकें ही स्वीकार्य हैं जो लेखक की हिंदी में मौलिक रचना हों। अनूदित पुस्तकें स्वीकार्य नहीं हैं ।

(iii) किसी भी सरकारी संगठन द्वारा पूर्व में पुरस्कृत पुस्तकें पात्र नहीं होंगी । ऊपर विषयक योजनाओं के अंतर्गत पुरस्कारों की घोषणा से पहले यदि पुस्तक को अन्य किसी पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाता है तो इसकी सूचना लेखक द्वारा तत्काल राजभाषा विभाग को दी जाए।

(iv) योजना के अंतर्गत 1 जनवरी से 31 दिसम्बर के दौरान प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार्य हैं।

(v) पुस्तक विषय के बारे में समीक्षात्मक विश्लेषणयुक्त होनी चाहिए । पी.एच.डी. के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के रूप में लिखी गई या पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तक पात्र नहीं होगी ।

(vi) लेखक पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे और उनके प्रमाण में जहां तक संभव हो, संदर्भ देंगे ।

(vii) यदि किसी व्यक्ति को राजभाषा विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में कोई पुरस्कार मिल चुका हो तो उसकी प्रविष्टि विचारणीय नहीं होगी । तथापि, सह-लेखक(यदि कोई हो) योजना में भाग ले सकता है । सह लेखक को पुरस्कार में अनुपातित राशि ही प्रदान की जायेगी ।

(viii) पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठों की हो ।

(ix) यदि मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रविष्टियों में से कोई भी पुस्तक किसी भी पुरस्कार के योग्य नहीं है तो इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा ।

(x) यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे, तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बांट दी जाएगी ।

7. **प्रविष्टि भेजने की विधि :**

(i) प्रविष्टि अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र के साथ भेजी जाएं अन्यथा उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

(ii) कृपया प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की तीन प्रतियां भेजें । पुस्तकें वापिस नहीं की जाएंगी ।

(iii) निर्धारित प्रपत्र भरकर प्रविष्ट विभाग द्वारा दी गई अंतिम तिथि तक पहुंच जानी चाहिए ।

(iv) एक लेखक एक योजना में केवल एक ही प्रविष्टि भेज सकता है ।

8. **पुस्तकों की मूल्यांकन प्रक्रिया :**

पुस्तकों का मूल्यांकन राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर राजभाषा विभाग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा । समिति की अध्यक्षता संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग द्वारा की जाएगी । समिति में आवश्यकतानुसार सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त गैर-

सरकारी, प्रतिष्ठित विद्वानों/विशेषज्ञों भी शामिल किए जा सकते हैं । जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:-

क.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	-	अध्यक्ष
ख.	दो गैर-सरकारी व्यक्ति, जो राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष नामित किए जाएंगे	-	सदस्य
ग.	निदेशक/उप-निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग	-	सदस्य-सचिव

(1) प्रविष्टि भेजने वाले लेखकों के निकट संबंधी मूल्यांकन समिति में नहीं लिए जाएंगे।

(2) मूल्यांकन समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी पुस्तक के बारे में निर्णय देने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ/ विशेषज्ञों की राय प्राप्त कर ले ।

(3) मूल्यांकन समिति मूल्यांकन के मानदंड स्वयं निर्धारित करेगी ।

(4) पुरस्कार देने के बारे में सर्वसम्मति न होने की स्थिति में निर्णय बहुमत द्वारा किया जाएगा। यदि किसी निर्णय के बारे में पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हो तो, अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(5) मूल्यांकन समिति के सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता उसी स्रोत से मिलेगा, जिस स्रोत से उन्हें वेतन मिलता है । समिति के गैर-सरकारी सदस्य भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए और संबंधित अवधि में लागू अनुदेशों के अधीन यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने के अधिकारी होंगे ।

(6) मूल्यांकन समिति के विशेषज्ञ राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय के भी अधिकारी होंगे ।

(7) मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर निर्णय राजभाषा विभाग द्वारा किया जाएगा ।

9. **पुरस्कार के बारे में घोषणा ओर पुरस्कार वितरण:**

(i) पुरस्कार के बारे में निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को पत्र द्वारा भेजी जाएगी तथा विभाग की वेबसाइट पर भी रखी जाएगी ।

(ii) पुरस्कार वितरण राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को किया जाएगा ।

10. **सामान्य सूचना:**

(i) पुरस्कृत पुस्तक पर लेखक/प्रकाशक का कापीराइट बना रहेगा ।

(ii) पुरस्कार वितरण के लिए नियत स्थान से बाहर से आए हुए पुरस्कार विजेताओं को आने-जाने के लिए रेल का द्वितीय श्रेणी वातानुकुलित का किराया तथा भारत सरकार के नियमों के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाएगा । ठहरने की व्यवस्था स्वयं अपने खर्चे पर करनी होगी।

(iii) पुरस्कार प्रदान किए जाने अथवा पुरस्कार के लिए पुस्तक चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा ।

11. **योजना शिथिल करने का अधिकार :**

जहां केन्द्र सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन विनियमों के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

अनुलग्नक

प्रपत्र

भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव

पुरस्कार - वर्ष -----------

1. पुरस्कार योजना का नाम: ....

2. पुस्तक का नाम : ....

3. (i) लेखक/सहलेखक का नाम : ....

(ii) पूरा पता(पिन कोड सहित) : ....

....

....

(iii) दूरभाष... फैक्स संख्या.......................................

(iv) मोबाइल फोन नं. : ....

(v) ई-मेल : ....

4. (i) प्रकाशक का नाम : ....

(ii) प्रकाशक का पूरा पता : ....

(iii) प्रकाशन का वर्ष : ....

5. क्या पुस्तक को पूर्व में किसी सरकारी संगठन से पुरस्कार प्राप्त हुआ है : हां/नहीं

यदि हां, तो कृपया पूरा ब्यौरा दें ....

....

6. मैं यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि -

(i) मैं ....पुत्र/पुत्री श्री ....भारतीय नागरिक हूँ ।

(ii) पुस्तक मेरे द्वारा मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है ।

(iii) मेरी पुस्तक को इस योजना के अंतर्गत प्रविष्ट करने से किसी अन्य व्यक्ति के कापीराइट का उल्लंघन नहीं होता है और पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूं ।

मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं हिंदी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के उपबंधों का पालन करूँगा/करूँगी ।

स्थान:.........................

दिनांक:.......................   लेखक/सहलेखक के हस्ताक्षर...............

नोट 1 : जो लागू न हो, काट दें ।

नोट 2 : पुस्तक के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में प्रत्येक सहलेखक द्वारा उपर्युक्त प्रपत्र अलग-अलग भरा जाए ।

(ख)केन्द्र सरकार के कार्मिकों (सेवानिवृत्त सहित) को हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार :

केन्द्रीय सरकार में कार्यरत या सेवानिवृत्त कार्मिकों को हिन्दी में पुस्तक लेखन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना वित्तीय वर्ष 2015-16 से शुरु की जाती है जिसके अन्तर्गत पुरस्कार राशि निम्न प्रकार होंगी:-

प्रथम पुरस्कार-	1,00,000/-रु. (एक लाख रुपए)	प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह
दितीय पुरस्कार-	75,000/-रु. (पचहत्तर हज़ार रुपए)	प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह
तृतीय पुरस्कार-	60,000/-रु. (साठ हजार रुपए)	प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह
प्रोत्साहन पुरस्कार-	30,000/-रु. (तीस हजार रुपए)	प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिन्ह

1. **परिभाषाएं:** इस योजना में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
   I. ''योजना'' का अभिप्राय है केन्द्र सरकार के कार्मिकों (सेवानिवृत्त सहित) को हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना ।
   II. ''पुस्तक'' से आशय प्रकाशित पुस्तक से है ।
   III. ''वर्ष'' से अभिप्राय है: (i) योजना वर्ष अभिप्राय - वित्तीय वर्ष (ii) प्रकाशन वर्ष अभिप्राय- कैलेण्डर वर्ष ।

2. **उद्देश्य :** योजना का उद्देश्य केंद्र सरकार के कार्मिकों (सेवानिवृत्त सहित) को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए प्रोत्साहित करना है ।

3. **पात्रता :**

   (i) पुस्तक के लेखक केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थानों तथा केन्द्र सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन स्वायत्त संस्थाओं/केंद्रीय विश्वविद्यालयों/प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारी/ कर्मचारी हों।

   (ii) लेखक अपनी प्रविष्टि अपने विभाग/पूर्व विभाग के अध्यक्ष द्वारा सत्यापन तथा संस्तुति के साथ इस विभाग को भेजें ।

4. सामान्य शर्ते :

(i) प्रविष्टि उपर्युक्त पुरस्कार योजनाओं में से केवल एक योजना के लिए ही भेजी जा सकती है। पुस्तक के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में प्रत्येक सहलेखक द्वारा अलग-अलग प्रोफार्मा भरा जाए ।

(ii) योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए वे पुस्तकें ही स्वीकार्य हैं जो लेखक की हिंदी में मौलिक रचना हों। अनुवादित पुस्तकें स्वीकार्य नहीं हैं ।

(iii) किसी भी सरकारी संगठन द्वारा पूर्व में पुरस्कृत पुस्तकें पात्र नहीं होंगी । ऊपरविषयक योजनाओं के अंतर्गत पुरस्कारों की घोषणा से पहले यदि पुस्तक को अन्य किसी पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाता है तो इसकी सूचना लेखक द्वारा तत्काल राजभाषा विभाग को दी जाए।

(iv) योजना के अंतर्गत 1 जनवरीसे 31 दिसम्बर के दौरान प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार्य हैं।

(v) पुस्तक विषय के बारे में समीक्षात्मक विश्लेषणयुक्त होनी चाहिए । पी.एच.डी. के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के रूप में लिखी गई या पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तक पात्र नहीं होगी ।

(vi) लेखक पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे और उनके प्रमाण में जहां तक संभव हो, संदर्भ देंगे ।

(vii) यदि किसी व्यक्ति को योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में कोई पुरस्कार मिल चुका हो तो उसकी प्रविष्टि विचारणीय नहीं होगी । तथापि, सहलेखक(यदि कोई हो) योजना में भाग ले सकता है ।

(viii) पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठों की हो ।

(ix) यदि मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रविष्टियों में से कोई भी पुस्तक किसी भी पुरस्कार के योग्य नहीं है तो इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा ।

(x) यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे, तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बांट दी जाएगी ।

5. प्रविष्टि भेजने की विधि :

(i) प्रविष्टि अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र के साथ भेजी जाएं अन्यथा उन्हें स्वीकार करना संभव नहीं होगा।

(ii) कृपया प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की तीन प्रतियां भेजें । पुस्तकें वापिस नहीं की जाएंगी ।

(iii) निर्धारित प्रपत्र में भरकर प्रविष्टियां विभाग द्वारा दी गई अंतिम तिथि तक पहुंच जानी चाहिए ।

(iv) एक लेखक एक योजना में केवल एक ही प्रविष्टि भेज सकता है ।

6. पुस्तकों की मूल्यांकन प्रक्रिया :

पुस्तकों का मूल्यांकन राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर उपलब्ध-प्रतिष्ठित विद्वानों/विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया जाएगा । जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे-:

क. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	-	अध्यक्ष
ख. दो गैर-सरकारी व्यक्ति, जो राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष नामित किए जाएंगे	-	सदस्य
ग. निदेशक/उप-निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग	-	सदस्य-सचिव

(i) प्रविष्टि भेजने वाले लेखकों के निकट संबंधी मूल्यांकन समिति में नहीं लिए जाएंगे।

(ii) मूल्यांकन समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी पुस्तक के बारे में निर्णय देने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ/ विशेषज्ञों की राय प्राप्त कर ले ।

(iii) मूल्यांकन समिति मूल्यांकन के मानदंड स्वयं निर्धारित करेगी । मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम होगा ।

(iv) पुरस्कार देने के बारे में सर्वसम्मति न होने की स्थिति में निर्णय बहुमत द्वारा किया जाएगा । यदि किसी निर्णय के बारे में पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हो तो, अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(v) मूल्यांकन समिति के सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता उसी स्रोत से मिलेगा, जिस स्रोत से उन्हें वेतन मिलता है । समिति के गैर-सरकारी सदस्य भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए और संबंधित अवधि में लागू अनुदेशों के अधीन यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने के अधिकारी होंगे ।

(vi) मूल्यांकन समिति के विशेषज्ञ राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय के भी अधिकारी होंगे ।

7. **पुरस्कार के बारे में घोषणा ओर पुरस्कार वितरण:**

(i) पुरस्कार के बारे में निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को पत्र द्वारा भेजी जाएगी तथा विभाग की वेबसाइट पर भी रखी जाएगी ।

(ii) पुरस्कार वितरण राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को किया जाएगा ।

8. **सामान्य सूचना:**

(i) पुरस्कृत पुस्तक पर लेखक का कापीराइट अधिकार बना रहेगा ।

(ii) पुरस्कार वितरण के लिए नियत स्थान से बाहर से आए हुए पुरस्कार विजेताओं को आने-जाने के लिए रेल का द्वितीय श्रेणी वातानुकुलित का किराया तथा भारत सरकार के नियमों के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाएगा । ठहरने की व्यवस्था स्वयं अपने खर्चे पर करनी होगी।

(iii) पुरस्कार प्रदान किए जाने अथवा पुरस्कार के लिए पुस्तक चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा ।

9. **योजना शिथिल करने का अधिकार :**

जहां केन्द्र सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन योजनाओं के किसी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

<u>अनुलग्नक</u>

प्रपत्र

केन्द्र सरकार के कार्मिकों (सेवा निवृत्त सहित) को हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार - वर्ष ....

1. पुरस्कार योजना का नाम : ....

2. पुस्तक का नाम : ....

3. (i) लेखक/सहलेखक का नाम : ....

   (ii) पूरा पता(पिन कोड सहित) : ....

   ....

   ....

   (iii) दूरभाष.. फैक्स संख्या......................................

   (iv) मोबाइल फोन नं. ....

   (v) ई-मेल ....

4. (i) प्रकाशक का नाम ....

   (ii) प्रकाशक का पूरा पता...

   (iii) प्रकाशन का वर्ष ....

5. क्या पुस्तक को पूर्व में किसी सरकारी संगठन से पुरस्कार प्राप्त हुआ है : हां/नहीं

   यदि हां, तो कृपया पूरा ब्यौरा दें ....

   ....

6. मैं यह प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि

   (i) मैं ....पुत्र/पुत्री श्री ....भारतीय नागरिक हूँ ।

(ii) मैं केंद्र सरकार अथवा उसके अधीन कार्यालय .... में कार्यरत हूं/से सेवानिवृत्त हूं । (केवल राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के लिए लागू)

(iii) पुस्तक मेरे द्वारा मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है ।

(iv) मेरी पुस्तक को इस योजना के अंतर्गत प्रविष्ट करने से किसी अन्य व्यक्ति के कापीराइट का उल्लंघन नहीं होता है और पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूं ।

मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं हिंदी में ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना विनियम के उपबंधों का पालन करूँगा/करूँगी ।

स्थान:..........................

दिनांक:........................ लेखक/सहलेखक के हस्ताक्षर...............

नोट 1 : जो लागू न हो, काट दें ।

नोट 2 : पुस्तक के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में प्रत्येक सहलेखक द्वारा उपर्युक्त प्रपत्र अलग-अलग भरा जाए ।

(ग) केन्द्र सरकार के कार्मिकों को (सेवा निवृत्त सहित) हिन्दी में उत्कृष्ट लेख के लिए राजभाषा गौरवपुरस्कार ।

राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट हिन्दी लेखों के लेखकों हेतु वर्ष 2013-14 में शुरु की गई पुरस्कार योजना का.ज्ञापन सं. 11014/12/2013-रा.भा.(प) दिनांक 2.5.2013 का अधिक्रमण करते हुए वर्ष 2015-16 से नई पुरस्कार योजना जारी की जाती है । जिसका नाम हिंदी में उत्कृष्ट लेख के लिए 'राजभाषा गौरव पुरस्कार'' है । योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित राशियों के 6 पुरस्कार दिए जाएगें:-

	<u>हिन्दी भाषी</u>		**<u>हिन्दीत्तर भाषी</u>**
प्रथम-	20,000/-रु.	(बीस हजार रुपए)	25,000/-रु. (पच्चीस हजार रुपए)
दितीय-	18,000/-रु.	(अठारह हजार रुपए)	22,000/-रु. (बाईस हजार रुपए)
तृतीय-	15,000/-रु.	(पन्द्रह हजार रुपए)	20,000/-रु. (बीस हजार रुपए)

पात्रता:

(क) केन्द्र सरकार के कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कार्मिक ।

(ख) उक्त लेख विभागीय अथवा किसी भी पत्र-पत्रिकाओं में वित्तीय वर्ष में प्रकाशित होने चाहिए।

(ग) मंत्रालय अपने स्तर पर अपने अधीनस्थ कार्यालय के कार्मिकों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं के लेख वित्तीय वर्ष के आधार पर शामिल कर सकता है ।

(घ) हिन्दी भाषी लेखक उन अधिकारियों/कर्मचारियों का माना जाएगा जिनका घोषित निवास स्थान 'क' या 'ख' भाषाई क्षेत्र में स्थित हो ।

(ङ) हिन्दीत्तर भाषी लेखक उन अधिकारियों/कर्मचारियों को माना जाएगा जिनका घोषित निवास स्थन 'ग' क्षेत्र में स्थित हो ।

(च) पुरस्कार वितरण के लिए नियत स्थान से बाहर से आए हुए पुरस्कार विजेताओं को आने-जाने के लिए रेल का द्वतीय श्रेणी वातानुकुलित का किराया तथा भारत सरकार के नियमों के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाएगा । ठहरने की व्यवस्था स्वयं अपने खर्चे पर करनी होगी ।

मूल्यांकन प्रक्रिया :

प्रत्येक मंत्रालय/विभाग अपने स्तर पर तीन-तीन लेखों का चयन करेगा । इस चयन के लिए हिन्दी प्रभारी संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा । मंत्रालय/विभाग इन चयनित लेखों को प्रपत्र में विवरण सहित राजभाषा विभाग को भेजेंगे । राजभाषा विभाग मंत्रालयों से प्राप्त लेखों को मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षा करवाकर तीन पुरस्कार प्रथम, द्वतीय तथा तृतीय पुरस्कार के लिए चयन करेगा । पुरस्कार जीतने के बारे में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की सेवा विवरणी में भी समुचित उल्लेखकर दिया जाएगा ।

प्रपत्र

नाम	पदनाम	कार्यालय का पता	लेख का विषय	संपर्क सूत्र: फोन, मोबाइल, ईमेल आदि

<u>आदेश</u>

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, लोकसभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

पूनम जुनेजा

(पूनम जुनेजा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार, मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)

संख्या: 11034/48/2014-रा.भा.(नीति) नई दिल्ली, दिनांक २५ मार्च , 2015

प्रतिलिपि प्रेषित:-

(1) निदेशक (कार्यान्वयन/तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को संकल्प में संशोधित की गई योजना के अनुसार नई योजना जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए ।

(2) सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक ।

(3) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिव ।

(4) राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।

(5) प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।

(6) मंत्रिमण्डल सचिवालय, नई दिल्ली ।

(7) योजना आयोग, नई दिल्ली ।

(8) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।

(9) लेखा निदेशक (केन्द्रीय राजस्व), नई दिल्ली ।

(10) लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।

(11) राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।

(12) संसद का पुस्तकालय (15 प्रतियां)

(13) निदेशक, जन-सम्पर्क (गृह मंत्रालय), पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली। उनसे अनुरोध है कि वे सरकार के इस निर्णय के संबंध में प्रेस नोट जारी करें ।

(14) राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग ।

(15) सचिव (राजभाषा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ।

(16) अतिरिक्त प्रति राजभाषा (नीति) डेस्क के लिए ।

पूनम जुनेजा

(पूनम जुनेजा)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

(भारत के राजपत्र के भाग-1 खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

...

दिनांक: 25 मार्च, 2015

संकल्प

सं.11034/48/2014-रा.भा.(नीति): राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा जारी दिनांक 30.7.1986 के कार्यालय ज्ञापन सं. ।।/12013/2/85-राजभाषा (क.2) का अधिक्रमण करते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 से नई पुरस्कार योजना शुरु की जाती है जिसका नाम **"राजभाषा कीर्ति पुरस्कार"** है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित को पुरस्कृत किया जाएगा:-

(क) मंत्रालय/ विभाग

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

(ग) बोर्ड/ स्वायत्त निकाय/ ट्रस्ट आदि

(घ) राष्ट्रीयकृत बैंक

(ङ) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

(च) हिन्दी गृह पत्रिका

2. राजभाषा नीति के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप राजभाषा के प्रयोग में बेहतर प्रगति दर्ज करने वाले उपरोक्त कार्यालयों/ संस्थानों को पुरस्कार स्वरूप राजभाषा शील्ड देकर सम्मानित किया जाएगा । प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रथम, दितीय एवं तृतीय पुरस्कार शील्ड के रूप में दिए जाएंगे । पुरस्कारों का निर्णय राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों के आधार पर किया जायेगा । पुरस्कारों के लिए मूल्यांकन सचिव, राजभाषा विभाग के अनुमोदन से गठित एक समिति द्वारा किया जाता है जिसमें विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा । इसके अंतर्गत हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर निम्नानुसार पुरस्कार दिए जायेंगे ।

श्रेणी	विवरण	पुरस्कार
मंत्रालय/विभाग	300 से कम स्टाफ संख्या वाले मंत्रालय 300 से अधिक स्टाफ संख्या वाले मंत्रालय	03 शील्डें 03 शील्डें
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	क क्षेत्र में स्थित उपक्रम ख क्षेत्र में स्थित उपक्रम ग क्षेत्र में स्थित उपक्रम	03 शील्डें 03 शील्डें 03 शील्डें

बोर्ड, स्वायत्त निकाय, ट्रस्ट आदि	क क्षेत्र में स्थित बोर्ड आदि ख क्षेत्र में स्थित बोर्ड आदि ग क्षेत्र में स्थित बोर्ड आदि	03 शील्डें 03 शील्डें 03 शील्डें
राष्ट्रीयकृत बैंक	क , ख तथा ग क्षेत्र के किए प्रथम तथा द्वितीय पुरस्कार	06 शील्डें
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति	क, ख तथा ग क्षेत्र में स्थित एक-एक न.रा.का.स. को	03 शील्डें
हिन्दी गृह पत्रिका	क, ख तथा ग क्षेत्र में प्रथम और द्वितीय पुरस्कार	06 शील्डें

<u>आदेश</u>

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों, राष्ट्पति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, लोकसभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

पूनम जुनेजा

(पूनम जुनेजा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार, मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)

संख्या: 11034/48/2014-रा.भा.(नीति) नई दिल्ली, दिनांक २८ मार्च , 2015

<u>प्रतिलिपि प्रेषित:-</u>

1. निदेशक (कार्यान्वयन/तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को संकल्प में संशोधित की गई योजना के अनुसार नई योजना जारी करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए ।
2. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक ।
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिव ।
4. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
6. मंत्रिमण्डल सचिवालय, नई दिल्ली ।
7. योजना आयोग, नई दिल्ली ।
8. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
9. लेखा निदेशक (केन्द्रीय राजस्व), नई दिल्ली ।
10. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
11. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
12. संसद का पुस्तकालय (15 प्रतियां)
13. निदेशक, जन-सम्पर्क (गृह मंत्रालय), पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली। उनसे अनुरोध है कि वे सरकार के इस निर्णय के संबंध में प्रेस नोट जारी करें ।
14. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग ।
15. सचिव (राजभाषा) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ।
16. अतिरिक्त प्रति राजभाषा (नीति) डेस्क के लिए ।

पूनम जुनेजा

(पूनम जुनेजा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार